

न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर०ए०एस०

अपील प्रकरण सं० 38/2016

1. अमरजीतकौर बेवा गुरदीप सिंह जाति बांवरी निवासी खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. मैनेजिंग आफिस, श्रीगंगानगर
2. मायादेवी पत्नी बचन सिंह जाति बांवरी साकिन खाराखेडा तहसील टीबी जिला हनुमानगढ़
3. पुन्नू सिंह पुत्र सोमाराम जाति बांवरी साकिन खाटसजवार तहसील सादुलशहर
4. राजकौर पत्नी पुन्नू सिंह जाति बांवरी साकिन खाटसजवार तहसील सादुलशहर
5. जंगीरो बेवा प्रेमसिंह जाति बांवरी साकिन खाटसजवार तहसील सादुलशहर
6. जगतार सिंह, जसपाल सिंह, छिन्द्रपाल सिंह पिसरान प्रेमसिंह जाति बांवरी साकिन खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

रेस्पोंडेन्टस

उपरिस्थित :

1. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता अपीलार्थी

:: आदेश ::

दिनांक :- 29.06.2018

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया जंगीर कौर बेवा प्रेम सिंह के प्रार्थना पत्र पर माननीय उच्चतम न्यायालय जोधपुर की रिट पेटिशन नम्बर एस.बी.सिविल नम्बर 9985/2012 अनवानी अमरजीत कौर बनाम अतिरिक्त कलक्टर व अन्य में निर्णय 13.07.2016 की पालना में पुनः दर्ज कर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि बुधा बेवा नत्थूराम को बतौर नान क्लेमेन्ट पर चक 9 एसडीएस तहसील सादुलशहर का मुरब्बा नम्बर 12 में किला नम्बर 16-17-24-25, मु.नं. 13 में किला नम्बर 21 व मु.नं. 22 में किला नम्बर 4-5 वा मु.नं. 23 में किला नम्बर 1-10-11-20, मु.नं. 24 में किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17 कुल 25 बीघा रकबा अलाट किया गया। बुधा ने अपना हिस्सा वसीयत से अपने लडके नामदेव के हक में कर दी थी तथा माया देवी व जमना ने अपना हिस्सा अपने भाई नामदेव के हक में तर्क कर दिया इसलिए बुधा के मरने के बाद तमाम जमीन नामदेव को उत्तराधिकार घोषित किया गया। नामदेव ने उपरोक्त जमीन में से 19 बीघा जमीन अपीलांट के पति को बेचान कर दिया तथा कब्जा अपीलांट को सौंप दिया गया तब से जमीन का कब्जा अपीलांट के पास चला आ रहा है। यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाये गये मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम बिन्दु का निर्णय सही नहीं किया क्योंकि रकबा बुधा बेवा नत्थूराम को बतौर नान क्लेमेन्ट पर अलाट है। बुधा ने अपने लडके नामदेव के हक में वसीयत कर दी तथा माया देवी व जमना ने अपना हिस्सा अपने भाई के हक में तर्क कर दिया जब हिस्सा तर्क कर दिया तो अब माया देवी का कोई हक नहीं रहता जब रकबा नामदेव के नाम दर्ज हो चुका है तथा नामदेव ने उपरोक्त रकबा में से 19 बीघा रकबा बेचान कर दिया तो नामदेव मरने के बाद उसके पास केवल 6 बीघा रकबा जमीन थी उसी का ही वारिसनामा घोषित किया गया क्योंकि नामदेव के नाम दिनांक 05.07.1971 को तमाम जमीन उत्तराधिकार में प्राप्त हो चुकी थी मगर अदालत मातहत ने इस पर गोर ना करके कानूनी भूल की है। इसलिए अदालत मातहत का आदेश निरस्त करने योग्य है। वारिसनामा घोषित किया गया उसका मामला अब भी सम्भागीय आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है इसलिए भी



अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कानून आदेश पारित नहीं करना चाहिए था मगर अदालत मातहत ने ऐसा ना करके कानून भूल की है। अदालत मातहत द्वारा बिन्दु नम्बर दो का निर्णय सही नहीं किया क्योंकि तमात जमीन का वारिस दिनांक 05.03.1971 को नामदेव को घोषित किया। नामदेव ने तमाम किश्त जमा करवा कर उपरोक्त जमीन की रजिस्ट्री बैयनामा दिनांक 11.01.1972 व दिनांक 12.01.1972 को अपीलांट के हक में करवा दी तथा जमीन का कब्जा अपीलांट को दे दिया। जमीन उसके नाम थी उसे रजि० बैयनामा करवाने का पुरा अधिकार था इसलिए रजि० बैयनामा जो किया गया वह बिलकुल सही किया गया, जबकि रजि० बैयनामा सही किया यह कहना सरासर गलत है कि धारा 52 डीपीसी एण्ड एक्ट तहत रजि० बैयनामा अवैध हो अधीनस्थ न्यायालय को रजि० बैयनामा अवैध घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है यह अधिकार सिविल न्यायालय को है मगर रेस्पोजेण्ट द्वारा रजि० बैयनामा के सम्बन्ध में किसी प्रकार का वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया इसलिए रजि० बैयनामा वैध है रजि० बैयनामा के आधार पर अपीलांटान को बेदखल नहीं किया जा सकता यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया। बिन्दु संख्या 03 का निर्णय जो किया गया क्योंकि अलाटी द्वारा तमाम किश्त जमा करवा दी थी इसलिए विभाग द्वारा सनद जारी करनी थी जो नहीं की गई तो यह विभाग की कमी है उसकी सजा अपीलांट को नहीं दी जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने बिन्दु संख्या 04 का निर्णय सही नहीं किया है क्योंकि अपीलांट इस भूमि पर बतौर खरीददार की हैसियत पर काबिज चले आ रहे हैं, तथा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.10.1987 को आदेश पारित किया कि जो रकबा बिना सनद के बेचान किया गया उन्होने आगामी आदेश तक बेदखल नहीं किया जावे जिस पर अपीलांट ने अण्डर टैकिंग भी पेश कर दी थी मगर अदालत मातहत ने इस गोर नहीं किया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.07.2002 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि बुधा बेवा नत्थूराम को बतौर नान क्लेमेन्ट पर चक 9 एसडीएस तहसील सादुलशहर का मुरब्बा नम्बर 12 में किला नम्बर 16-17-24-25, मु.नं. 13 में किला नम्बर 21 व मु.नं. 22 में किला नम्बर 4-5 वा मु.नं. 23 में किला नम्बर 1-10-11-20, मु.नं. 24 में किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17 कुल 25 बीघा रकबा अलाट किया गया। बुधा ने अपना हिस्सा वसीयत से अपने लडके नामदेव के हक में कर दी थी तथा माया देवी व जमना ने अपना हिस्सा अपने भाई नामदेव के हक में तर्क कर दिया इसलिए बुधा के मरने के बाद तमाम जमीन नामदेव को उत्तराधिकार घोषित किया गया। नामदेव ने उपरोक्त जमीन में से 19 बीघा जमीन अपीलांट के पति को बेचान कर दिया तथा कब्जा अपीलांट को सौंप दिया गया तब से जमीन का कब्जा अपीलांट के पास चला आ रहा है। यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाये गये मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम बिन्दु का निर्णय सही नहीं किया क्योंकि रकबा बुधा बेवा नत्थूराम को बतौर नान क्लेमेन्ट पर अलाट है। बुधा ने अपने लडके नामदेव के हक में वसीयत कर दी तथा माया देवी व जमना ने अपना हिस्सा अपने भाई के हक में तर्क कर दिया जब हिस्सा तर्क कर दिया तो अब माया देवी का कोई हक नहीं रहता जब रकबा नामदेव के नाम दर्ज हो चुका है तथा नामदेव ने उपरोक्त



अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

रकबा में से 19 बीघा रकबा बेचान कर दिया तो नामदेव मरने के बाद उसके पास केवल 6 बीघा रकबा जमीन थी उसी का ही वारिसनामा घोषित किया गया क्योंकि नामदेव के नाम दिनांक 05.07.1971 को तमाम जमीन उत्तराधिकार में प्राप्त हो चुकी थी मगर अदालत मातहत ने इस पर गोर ना करके कानूनी भूल की है। इसलिए अदालत मातहत का आदेश निरस्त करने योग्य है। वारिसनामा घोषित किया गया उसका मामला अब भी सम्भागीय आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है इसलिए भी कानून आदेश पारित नहीं करना चाहिए था मगर अदालत मातहत ने ऐसा ना करके कानून भूल की है। अदालत मातहत द्वारा बिन्दु नम्बर दो का निर्णय सही नहीं किया क्योंकि तमात जमीन का वारिस दिनांक 05.03.1971 को नामदेव को घोषित किया। नामदेव ने तमाम किशत जमा करवा कर उपरोक्त जमीन की रजिस्ट्री बैयनामा दिनांक 11.01.1972 व दिनांक 12.01.1972 को अपीलांट के हक में करवा दी तथा जमीन का कब्जा अपीलांट को दे दिया। जमीन उसके नाम थी उसे रजि० बैयनामा करवाने का पुरा अधिकार था इसलिए रजि० बैयनामा जो किया गया वह बिलकुल सही किया गया, जबकि रजि० बैयनामा सही किया यह कहना सरासर गलत है कि धारा 52 डीपीसी एण्ड एक्ट तहत रजि० बैयनामा अवैध हो अधीनस्थ न्यायालय को रजि० बैयनामा अवैध घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है यह अधिकार सिविल न्यायालय को है मगर रेस्पोंडेंट द्वारा रजि० बैयनामा के सम्बन्ध में किसी प्रकार का वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया इसलिए रजि० बैयनामा वैध है रजि० बैयनामा के आधार पर अपीलांटान को बेदखल नहीं किया जा सकता यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया। बिन्दु संख्या 03 का निर्णय जो किया गया क्योंकि अलाटी द्वारा तमाम किशत जमा करवा दी थी इसलिए विभाग द्वारा सनद जारी करनी थी जो नहीं की गई तो यह विभाग की कमी है उसकी सजा अपीलांट को नहीं दी जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने बिन्दु संख्या 04 का निर्णय सही नहीं किया है क्योंकि अपीलांट इस भूमि पर बतौर खरीददार की हैसियत पर काबिज चले आ रहे है, तथा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.10.1987 को आदेश पारित किया कि जो रकबा बिना सनद के बेचान किया गया उन्होने आगामी आदेश तक बेदखल नहीं किया जावे जिस पर अपीलांट ने अण्डर टैकिंग भी पेश कर दी थी मगर अदालत मातहत ने इस गोर नहीं किया। राजस्थान सरकार, राजस्व (पुर्नवास) विभाग के परिपत्र क्रमांक: एफ.1(15)राजस्व/पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक अक्टुबर 06, 2009 अनुसार ऐसे प्रकरण जिनमें विभिन्न न्यायालयों द्वारा यह तय किया गया है कि विस्थापित व्यक्ति (दावें) अधिनियम, 1950 के तहत दावेदार के पक्ष में दावों का निर्धारण (Settlement of claims) हेतु निर्देश दिये गये है। लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील स्वीकार की जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.07.2002 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोंडेंटस को बार-बार आवाजे लगाई गई कोई उपस्थित नहीं आये। हस्तगत प्रकरण का प्रस्तुत कानूनी प्रावधानों/दृष्टांतों के आलोक में परीक्षण किया गया। राजस्थान सरकार, राजस्व (पुर्नवास) विभाग के परिपत्र क्रमांक: एफ.1(15)राजस्व/पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक अक्टुबर 06, 2009 अनुसार ऐसे प्रकरण जिनमें विभिन्न न्यायालयों द्वारा यह तय किया गया है कि विस्थापित व्यक्ति (दावें) अधिनियम, 1950 के तहत दावेदार के पक्ष में दावों का निर्धारण (Settlement of claims) हेतु निर्देश दिये गये है।



अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उक्त प्रकरण में भी मूल आवंटी के वारिसान नामदेव ने जरिये रजि0 बैयनामा चक 9 एसडीएस तहसील सादुलशहर का मुरब्बा नम्बर 12 में किला नम्बर 16-17-24-25, मु.नं. 13 में किला नम्बर 21 व मु.नं. 22 में किला नम्बर 4-5 वा मु.नं. 23 में किला नम्बर 1-10-11-20, मु.नं. 24 में किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17 कुल 25 बीघा रकबा अपीलार्थिया को बेचान की हुई है।

प्रचलित विधि में- "ऐसे प्रकरण जिनमें मूल आवंटियों ने खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही भूमि का बेचान औपचारिक/अनौपचारिक तरीके से किसी अन्य को कर दिया है और मौका पर मूल आवंटी के बजाय अन्य व्यक्ति का बिज ह।"

प्रावधान है कि- "निष्क्रान्त कृषि भूमि के आवंटियों द्वारा भूमि का अवैध विक्रय कर देने से उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु अधिसूचना दिनांक 28.11.2004 द्वारा 1963 के राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमियों का स्थायी आवंटन) नियम 1963 में नियम 5ए जोड़ा गया है जिसके अनुसार भूमि का नियमन किया जा सकता है। नियम 5ए के उप-नियम (1) में प्रावधान है कि यदि आवंटी द्वारा भूमि का हस्तान्तरण इन नियमों के अतिलंघन में कर दिया गया हो तो उपखण्ड अधिकारी आवंटन सलाहकार समिति से सलाह करके ऐसे हस्तान्तरण को वैध घोषित कर सकता है, यदि हस्तान्तरित/क्रेता द्वारा राज्य सरकार की समस्त बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाता है तथा और सिंचित भूमि के लिए 1000/-रूपये प्रति बीघा तथा असिंचित भूमि के लिये 500/-रूपये प्रति बीघा की दर से शास्ति सहित भूमि के बाजार मूल्य की 25 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया जाता है। अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरण में यह राशि 50 प्रतिशत रखी गई है।"

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। अपील के अन्तर्गत आने वाली भूमि चक 9 एसडीएस तहसील सादुलशहर का मुरब्बा नम्बर 12 में किला नम्बर 16-17-24-25, मु.नं. 13 में किला नम्बर 21 व मु.नं. 22 में किला नम्बर 4-5 वा मु.नं. 23 में किला नम्बर 1-10-11-20, मु.नं. 24 में किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17 कुल 25 बीघा रकबा भूमि हस्तान्तरण नियम 5ए के उप-नियम (1) के अनुसार आवंटी द्वारा भूमि का हस्तान्तरण इन नियमों के अतिलंघन में किया गया है। अतः उपखण्ड अधिकारी आवंटन सलाहकार समिति से सलाह करके ऐसे हस्तान्तरण को वैध घोषित कर सकता है। अतः उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर को अपील इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वह राजस्थान सरकार, राजस्व (पुनर्वास) विभाग के परिपत्र क्रमांक: एफ.1(15)राजस्व/पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक अक्टुबर 06, 2009 अनुसार पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का नियमानुसार विहित बकाया राशि तथा शुल्क/(शास्ति) लेकर निस्तारण करें। आदेश की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को प्रेषित हो। उपखण्ड अधिकारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक पक्षकारों को सुनकर निर्णय की पालना में समुचित कार्यवाही अविलम्ब करे।

आदेश आज दिनांक 29.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten Signature)
(नखतदान बारहठ)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर